भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2586

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा का वित्तीय एकीकरण

2586. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
कैप्टन बृजेश चौटा:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री विष्णु दयाल राम:
डॉ. निशिकान्त दुबे:
डॉ. हेमांग जोशी:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री गोडम नागेश:
डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत आवास निर्माण में लगे अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के माध्यम से किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मनरेगा के माध्यम से पीएमएवाई-जी निर्माण में लगे अकुशल श्रमिकों को मजदूरी के रूप में राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी राशि वितरित की गई;

(ग) क्या सरकार का पीएमएवाई-जी द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त श्रम मांग को देखते हुए एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने एमजीएनआरईजीएस अभिसरण के माध्यम से पीएमएवाई-जी निर्माण में नियोजित अकुशल श्रमिकों के लिए कोई निचली सीमा या न्यूनतम मजदूरी बेंचमार्क निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में वेतन मानदंड तथा उनके समान क्रियान्वयन के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमएवाई-जी तथा एमजीएनआरईजीएस के एकीकरण का श्रम उपयोग तथा मजदूरी वितरण सहित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च 2029 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकानों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करके 4.95 करोड़ मकानों के निर्माण हेतु दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। आज की तारीख तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संचयी रूप से 4.14 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिसके सापेक्ष 3.86 करोड़ मकानों के निर्माण को मंज़ूरी दी जा चुकी है और 2.92 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम की अनुसूची I, धारा 4 (3), पैरा 4 (1), II. श्रेणी: ख (सामुदायिक संपत्ति या कमज़ोर वर्गों के लिए निजी संपत्ति (केवल पैरा 5 में दिए गए परिवारों के लिए)), (iv) के अनुसार, पीएमएवाई-जी या ऐसी ही किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की योजना के तहत मंज़ूर किए गए आवासों के निर्माण में अकुशल मज़दूरी घटक प्रदान किया जा सकता है।

दिशानिर्देश के अनुसार, कम से कम 25 वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र वाले मकान के निर्माण के लिए आवश्यक कुल अकुशल श्रम-दिवसों की संख्या उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी क्षेत्र और आईएपी जिलों के लिए 95 श्रम-दिवस और अन्य क्षेत्रों के लिए 90 श्रम-दिवस है। पीएमएवाई-जी/अन्य आवास योजना के लिए निर्धारित इकाई लागत के होते हुए भी इसका भुगतान मनरेगा के तहत किया जा सकता है। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष (12 दिसंबर 2025 तक) के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के तहत पीएमएवाई-जी और अन्य राज्य आवास योजनाओं पर किए गए राज्य-वार कुल व्यय का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम की धारा 6 (1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा लाभार्थियों के लिए मज़दूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 6 (2) यह प्रावधान करती है कि जब तक केंद्र सरकार किसी राज्य के किसी भी क्षेत्र के संबंध में मज़दूरी दर तय नहीं कर देती, तब तक उस क्षेत्र पर लागू होने वाली मज़दूरी दर के रूप में न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए तय की गई न्यूनतम मज़दूरी को माना जाएगा। तदनुसार, अधिनियम की धारा 6 (2) के प्रावधान के अनुसार, योजना की शुरुआत से लेकर वित्तीय वर्ष 2010-11 तक, मनरेगा में मज़दूरी दर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी के आधार पर तय की जाती थी। तथापि, वित्तीय वर्ष 2011-12 से, भारत सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) का उपयोग करके मज़दूरी दरें निर्धारित करना शुरू कर दिया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों को मुद्रास्फीति से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर मज़दूरी दर को संशोधित करता है। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा अधिसूचित यह सूचकांक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होता है। यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की परिकलित मज़दूरी दर पिछले वर्ष की मज़दूरी दर से कम आ रही है, तो पिछले वर्ष की मज़दूरी दर को बनाए रखा जाता है।

तथापि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मज़दूरी दर से अधिक मज़दूरी प्रदान कर सकता है।

(ङ) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मनरेगा योजना के तहत राजस्थान के पाली जिला में सृजित श्रम दिवसों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**2024-25**	**2023-24**	**2022-23**
सृजित श्रम दिवस [लाख में]	92.35	91.16	123.42

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

इस योजना के तहत, मज़दूरी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत राजस्थान को वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक मज़दूरी घटक के लिए जारी की गई केंद्रीय निधि (रुपये करोड़ में)।		
वित्तीय वर्ष 2024-25	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
6211.10	6490.07	6757.26

अनुबंध

मनरेगा का वित्तीय एकीकरण के संबंध में लोकसभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2586 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष (12.12.2025 तक) के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और अन्य राज्य आवास योजनाओं पर किया गया राज्य-वार कुल व्यय।

(रु लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	5,202.05	25,510.45	44,362.71	44,082.04
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	10.71	72.42
3	असम	52,021.30	62,505.69	1,23,506.97	95,656.92
4	बिहार	1,09,328.93	30,539.42	32,958.88	1,71,531.66
5	छत्तीसगढ	98,485.19	88,555.55	22,163.02	698.79
6	गोवा	-	-	-	-
7	गुजरात	24,333.63	23,575.75	26,056.09	13,061.30
8	हरियाणा	4,416.40	122.16	522.07	566.88
9	हिमाचल प्रदेश	6,328.70	7,587.67	469.41	484.24
10	जम्मू और कश्मीर	857.21	9,105.85	16,054.09	7,154.93
11	झारखंड	61,642.40	24,555.10	17,813.55	46,411.64
12	कर्नाटक	15,913.41	22,202.63	21,907.37	15,624.81
13	केरल	10,314.26	14,311.53	16,244.35	9,201.91
14	लद्दाख	0.18	59.46	194.95	-
15	मध्य प्रदेश	1,27,103.28	71,409.46	45,149.11	1,52,262.12
16	महाराष्ट्र	1,72,647.48	77,247.49	44,832.01	44,464.75
17	मणिपुर	223.16	-	0.01	0.01
18	मेघालय	1,232.39	10,687.40	4,636.62	784.60
19	मिजोरम	4.61	74.74	59.46	101.58
20	नागालैंड	-	-	0.04	-
21	ओडिशा	29,341.07	63,908.07	1,08,876.24	6,149.60
22	पंजाब	3,452.71	1,229.04	1,104.10	1,294.96

23	राजस्थान	69,479.34	21,387.92	8,268.41	55,567.96
24	सिक्किम	-	5.69	9.64	14.15
25	तमिलनाडु	37,750.56	36,465.48	19,368.46	34,906.91
26	तेलंगाना	830.99	0.13	0.53	1.13
27	त्रिपुरा	630.30	10,494.27	20,920.88	24,262.58
28	उत्तर प्रदेश	12,761.41	70,674.23	1,48,080.16	33,092.54
29	उत्तराखंड	98.27	2,940.25	3,818.44	1,538.91
30	पश्चिम बंगाल	3.88	-	408.33	32,233.82
31	अंडमान और निकोबार	16.89	51.65	9.70	32.22
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	430.24	891.63	101.39	-
33	लक्षद्वीप	-	-	-	-
	कुल	**8,44,850.24**	**6,76,098.71**	**7,27,907.70**	**7,91,255.38**

******